जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

Ref No. – BRLPS/Proj-FI/497/14/3537 Date :- 09.10.2023.

कार्यालय-आदेश

विदित है कि जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक स्तर पर जीविकोपार्जन के संसाधनों को बढ़ाने हेतु कार्य किया जाता है | इस हेतु क्षमता वर्धन के साथ-साथ पारिवारिक स्तर पर समूहों के माध्यम से पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है | **यह पूंजी समूहों को बिहार सरकार** के द्वारा **जीविका परियोजना** के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाती है | साथ ही क्रमशः पूंजी उपलब्धता हेतु बैंकों का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है ताकि स्व-रोजगार के अवसर बढ़ सकें | **वर्तमान संदर्भ मे जब विभिन्न त्योहारों का आगमन हो रहा है**, यह महत्वपूर्ण होगा कि **जीविकोपार्जन के संसाधनों को बढ़ाने हेतु दृढ़ता के साथ कार्य किया जाए** |

उपर्युक्त वर्णित के उद्देश्य प्राप्ति हेतु सभी परियोजनाकर्मियों को निदेशित है कि निम्नलिखित योजना के अंतर्गत कार्य करें :

क. सभी समूहों के **बचत खाता** खोलने हेतु संबंधित दस्तावेजों को बनाकर बैंकों की विभिन्न शाखाओं मे जमा कर दें | इसको सूचना जिला एवं राज्य स्तर को रिपोर्ट के माध्यम से दें ताकि **बैंकों के शीर्ष स्तर** से समन्वय स्थापित कर कार्य को क्रियान्वित किया जा सके |

ख. ऐसे समूह जिनका प्रथम लिंकेज नहीं हो पाया है उसका दस्तावेज बनाकर बैंकों मे जमा कर दें | जिन समूहों का दस्तावेज जमा हो गया है, उन समूहों को ऋण वितरित करने हेतु बैंकों के साथ सामंजस्य बनाते हुए कार्य का निष्पादन करें |

ग. यह तय किया गया है की **11, 12, एवं 13 अक्टूबर 2023** को सभी बैंकों के साथ इस संदर्भ मे कार्य होगा तथा ऋण वितरण हेतु विस्तृत योजना बनाकर ना **सिर्फ क्रेडिट लिंकेज किया जाएगा बल्कि ऋण वितरण भी सुनिश्चित की जाएगी** |

घ. प्रखंडवार इस संदर्भ मे प्रगति को देखते हुए सभी **जिला परियोजना प्रबंधक,** यह सुनिश्चित करेंगे कि **17-18 अक्टूबर 2023 की तारीख** भी बैंक लिंकेज एवं ऋण वितरण के लिए उपयोग की जाएगी |

ङ. सभी प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि **संकुल संघ के स्तर पर भी ऋण की मांग ग्राम संगठनों के द्वारा की जाए** | ग्राम संगठनों को इस मद मे नियमनुसार ऋण की राशि संकुल संघों के द्वारा ससमय उपलब्ध करवायी जाए | **इस हेतु आने वाले 3 बैठकों मे** संकुल संघों **के स्तर पर इस हेतु विशेष चर्चा एवं पूंजी उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु क्रियान्वयन किया जाएगा** |

सभी जिला परियोजना प्रबंधक, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं समस्त परियोजना से संबंधित कर्मियों को यह निदेशित है कि **जीविकोपार्जन संवर्धन के संसाधनों को बढ़ाने** हेतु एवं **स्व-रोजगार को व्यापकता** प्रदान करने हेतु उपर्युक्त रणनीति पर कार्य करेंगे |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है |

09/10/23

(राहुल कुमार, भा०प्र०से०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका

प्रतिलिपि :

1. समस्त परियोजना कर्मी |
2. सभी संकुल संघ |